राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

(आरजीएचएस)

द्वितीय तल, डी–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005

फोन:– 0141-2744570

email: add.dir.rghs@rajasthan.gov.in

website:www.rghs.rajasthan.gov.in

क्रमांक:–एफ1(240) / मेडि. / आरजीएचएस / 2021 / 1219 – 1227 दिनांक:– 18/10/21

परिपत्र – 5/2021

वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या F.5 (5) FD/ Insurance/ 2020 दिनांक 09.04.2021 की अनुपालना में माननीय मंत्रियों, माननीय विधायकों, पूर्व विधायकों, अखिल भारतीय एवं न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी, राजकीय और स्वायत्तशासी संस्थानों के सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिक जिन पर राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) लागू है, को दिनांक 01.07.2021 से समस्त राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में RGHS के अन्तर्गत कैशलेस Indoor/Day-Care चिकित्सा सुविधा प्रारंभ कर दी गई है।

अधिसूचना के बिन्दु 4 के अनुसार किसी RGHS के लाभार्थी जो दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त है, नें दिनांक 30.09.2121 के पश्चात् नकद भुगतान कर ईलाज करवा लिया है, को सामान्य परिस्थिति में पुनर्भरण देय नहीं होगा जबकि उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध थी किन्तु नियमों के अन्तर्गत मानी गयी आपातकालीन परिस्थितियों में अथवा अन्य आपवादिक परिस्थितियों में नगद भुगतान कर हॉस्पिटल में ईलाज प्राप्त कर लिया है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थियों से ऑनलाईन दावें सब्मिट करवाकर भुगतान योग्य राशि का पुनर्भरण किया जायेगा।

इसके संबंध में उल्लेखनीय हैं कि RGHS के वे लाभार्थी जो दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात् नियुक्त है के द्वारा विशेष परिस्थितियों में 30.09.2021 तक नकद भुगतान कर इनडोर इलाज करवा लिया गया है, आरजीएचएस पोर्टल पर आगामी व्यवस्था तक उनके दावों के पुनर्भरण की SIPF के पोर्टल पर पूर्व व्यवस्था के अनुसार निम्नानुसार होगी।

- SSOID से लॉग–इन करेंगे
- SIPF पोर्टल पर क्लिक कर RGHS Claim मॉड्यूल पर समस्त आवश्यक दस्तावेज अपलोड करते हुए दावा ऑनलाइन सब्मिट करने पर यूनिक दावा संख्या प्राप्त होगी।
- दावा संख्या जनरेट होने पर दावे की हार्ड कॉपी दस्तावेज यथा चिकित्सक से प्रमाणित दावा प्रपत्र, मूल डिस्चार्ज टिकट, फाईनल मूल बिल, मूल जाँच रिपोर्ट, दवा पर्चियां, गैर अनुमोदित चिकित्सालय में इलाज की स्थिति में चिकित्सक द्वारा जारी आपातकालीन प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक अथवा निरस्त चैक, इंप्लांट्स इनवॉईस, स्टीकर आदि) सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को जमा कराएंगे।
- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इन दावा प्रपत्रों की जांच कर टी.पी.ए. को ऑनलाईन अग्रेषित करेगा।
- टी.पी.ए. द्वारा दावा प्रोसेस किये जाने के पश्चात Portal से फ्लॉट जारी कर कार्यालय द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाईन राशि हस्तांतरित करवा दी जायेगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य है कि यह व्यवस्था मात्र इनडोर/डे–केयर ईलाज के दावों के लिए ही है एवं पुनर्भरण के दावों के लिए आवेदन हेतु लाभार्थी का *RGHS में पंजीकरण अनिवार्य है*। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.12.2021 के पश्चात् इस दिनांक से पूर्व के पुनर्भरण के किसी भी प्रकार के दावे स्वीकार्य नहीं होगें।

उपरोक्त व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी।

संलग्न :— 1. दावा प्रपत्र प्रारूप

2. आपातकालीन परिस्थितियों में करवाये गये ईलाज हेतु शपथ—पत्र।

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक (RGHS)
राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग

दिनांकः— 18/10/21

क्रमांकः—एफ1(240)/मेडि./आरजीएचएस/2021/1219-1227

प्रतिलिपिः—

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम), राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष
8. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
9. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/ परियोजना/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग
10. रक्षित पत्रावली

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक (RGHS)